

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/पविप/प्राशिपूप/दिशानिर्देश/2018/161

दिनांक:- 25.10.2018

निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त	पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) एवं माध्यमिक शिक्षा(मुख्यालय), समस्त	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट), समस्त	सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 हेतु दिशा-निर्देशों के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 के सुव्यवस्थित एवं सुचारु संचालन के क्रम में शासन के प्रासंगिक पत्र क्रमांक प.(17)30/प्राशि/2017, जयपुर दिनांक 23.10.2018 के द्वारा अनुमोदनोंपरांत पूर्व में उक्त परीक्षाओं के संबंध में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26.10.17 के अतिक्रमण में निम्नानुसार नवीन/संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। उक्त परीक्षाओं के संबंध में समस्त कार्यवाही इन दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित पंचांग के अनुसार सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार



निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/पविप/प्राशिपूप/दिशानिर्देश/2017

दिनांक:- 25.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. आयुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 के क्रम में दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।
7. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी केन्द्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देशों को शाला दर्पण पोर्टल, शाला दर्शन पोर्टल एवं प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर प्रदर्शित करावें।
8. प्रभारी, आई.सी.टी. सैल, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. अनुभाग अधिकारी, शैक्षिक/वजट कार्यालय हाजा।



निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा-2019 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश :-

शैक्षणिक सत्र 2015-16 से आठवीं कक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तौर पर "प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा" आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 30(2) के तहत विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये आधार स्वरूप में कार्य करेगी। दिनांक 29.09.2015 को शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए व परीक्षा संबंधी कार्यों का विभिन्न अभिकरणों में विभाजन किया गया। उक्त बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार उक्त परीक्षा के सफल संचालन हेतु विभिन्न एजेन्सियों को निम्नानुसार कार्य सौंपे गये थे। प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 हेतु इन अभिकरणों को सौंपे गये दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

• माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर:-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थियों की जिलेवार संख्यात्मक सूचना पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त कर निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे:-

1. विद्यार्थियों के परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन करने की समस्त प्रक्रिया सम्पन्न कर परीक्षार्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा पैटर्न के अनुसार परीक्षा केन्द्रवार एवं विद्यालयवार नामांक आवंटित करना, प्रवेश पत्र ऑनलाईन करना एवं विद्यालयों से ऑनलाईन सत्रांक फीड करवाना।
2. समस्त छः विषयों यथा-अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/सिंधी/पंजाबी/गुजराती) के प्रश्न पत्रों एवं वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों का निर्धारित समय पर निर्माण, अनुसमीन, मुद्रण करवाकर समस्त डाईट्स को सावधानी पूर्वक वितरित करवाना।
3. ओएमआर शीट (मुख्य परीक्षा एवं सत्राकों के लिए अलग-अलग), परीक्षा संबंधी आवश्यक अभिलेखों का मुद्रण एवं परीक्षा केन्द्रों पर वितरण पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त सूचना के अनुसार करना।
4. परीक्षा के विश्वसनीय, गोपनीय एवं सुव्यवस्थित आयोजन, प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा प्रक्रिया के सुव्यवस्थित संचालन आदि के संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों एवं परीक्षा केन्द्रों को निर्देश जारी करना।
5. समस्त डाईट्स से उत्तर पुस्तिकाएं जांच पश्चात् समेकित सूची मय प्राप्तांक प्राप्त करना।
6. टी.आर. समय पर तैयार कर डाईट्स को भिजवाना।
7. परीक्षा परिणाम ऑनलाईन घोषित करना।
8. ग्रेडिंग युक्त प्रमाण-पत्र मुद्रित करवाकर समस्त डाईट्स को समय पर भिजवाना। साथ ही डाईट द्वारा प्रतिलिपि जारी करने एवं पुनर्गणना में ग्रेड परिवर्तित होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र की प्रति जारी करने हेतु 15 प्रतिशत रिक्त ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना।
9. रिजल्ट की सीडी एवं हार्ड कॉपी समस्त डाईट्स को समय पर भिजवाना एवं परिणाम घोषणा के 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम (राजकीय एवं निजी विद्यालयों का अलग-अलग वर्गीकृत) निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध करवाना।
10. कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शा.शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर निर्धारित गतिविधि आधारित मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त प्राप्तांको का ग्रेड मूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र में दर्ज करना। यह ग्रेड डाईट से प्राप्त सत्रांक के साथ प्राप्त होगी।
11. समस्त छः विषयों यथा-अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/सिंधी/पंजाबी/गुजराती) का विद्यालय स्तर पर किए गए मूल्यांकन का 20 प्रतिशत सत्रांक (Internal marks) समस्त डाईट्स से प्राप्त कर अंकतालिका/प्रमाण पत्र में ग्रेड का इन्द्राज करना।
12. विद्यालयों/डाईट्स/मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय)/माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) आदि हेतु प्रसारित किये जाने योग्य आदेश-निर्देश वेबपोर्टल shiksha.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित करना।
13. वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत डाईट्स को परीक्षा निर्धारण हेतु संबंधित जिले की परीक्षार्थी संख्या प्रेषित करना तथा केन्द्र निर्धारण हेतु कम से कम 15 दिवस की समयावधि डाईट्स को प्रदान कर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर के माध्यम से केन्द्र निर्धारण प्रस्ताव प्राप्त करना।
14. डाईट्स को बिन्दु संख्या 13 में अंकित सूचनाएं उपलब्ध करवाते समय बोर्ड द्वारा केवल परीक्षार्थी संख्या न उपलब्ध करवाई जाकर परीक्षार्थियों की वर्गवार, लिंगवार एवं जातिवार सूचना प्रेषित की जावे तथा आवेदन प्रक्रिया विद्यालय द्वारा लॉक कर दिये जाने के उपरांत संशोधन हेतु विद्यालयों/परीक्षार्थियों को एक मौका और दिया जावे।
15. मुख्य परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों की फॉलोअप परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र निर्माण, मुद्रण कर परीक्षा केन्द्रों पर वितरण करना।

● **राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान.(SCERT) उदयपुर:-**

16. समस्त कार्यो हेतु राज्य स्तरीय कमेटी की बैठको का आयोजन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के साथ समन्वय स्थापित करके करवाना।
17. समस्त शैक्षिक कार्यो मे तकनीकी सहयोग एवं सुझाव प्रदान करना।
18. आठवीं कक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित शैक्षिक प्राधिकारी के तौर पर पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यपुस्तको का निर्माण, कक्षोन्नति नियमों का निर्माण कर अनुमोदनार्थ निदेशालय प्रा.शि. एवं राज्य सरकार को भिजवाना।
19. अकादमिक कार्यो हेतु राज्य स्तरीय शैक्षिक कोर कमेटी की बैठके आयोजित करना।
20. प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
21. बेस लाइन आकलन हेतु विषयवार ब्लू प्रिंट का निर्माण कर दिनांक 27.10.2018 तक राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
22. प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विषय विशेषज्ञों की सूची जिलों से प्राप्त कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को दिनांक 27.10.2018 तक प्रेषित करना।
23. जिलों से प्राप्त सूची के अनुसार कार्मिको को नवीन ब्लू प्रिंट की जानकारी देने हेतु क्षमता संवर्धन कार्यो में का आयोजन करना।
24. समय-समय पर आयोज्य बैठकों में अकादमिक सहयोग प्रदान करना।
25. उपचारात्मक शिक्षण हेतु अकादमिक सहयोग प्रदान करना।
26. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सत्र 2018-19 की पाठ्यपुस्तकें (हिन्दी एवं अंग्रजी माध्यम दोनो की) दिनांक 27.10.2018 तक उपलब्ध कराना।
27. विद्यालयों/डाईट्स/ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा आदि हेतु प्रसारित किये जाने योग्य आदेश/सामग्री वेबपोर्टल shiksha.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित करना।
28. समस्त डाइट से बजट प्रस्ताव प्राप्त कर समेकित बजट प्रस्ताव अनुमोदनार्थ निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना।

● **निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर:-**

29. कक्षा 8 हेतु प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 के आयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्रों को जारी करना।
30. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन उपरान्त आदेश-निर्देश जारी करना।
31. SCERT उदयपुर से प्राप्त बजट प्रस्ताव के अनुमोदन उपरान्त समस्त डाईट्स को बजट आवंटन करना।
32. निदेशालय प्रा.शि. के बजट अनुभाग द्वारा उक्त परीक्षा में जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन की भांति ही बजट आवंटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। (उक्त परीक्षा हेतु पूर्व में डाईट द्वारा वास्तविक व्यय प्रस्तुत करने के उपरांत बजट जारी करने का प्रावधान था, जबकि डाईट्स को आवश्यक भुगतान करने में समस्या परिलक्षित होने के मद्देनजर बजट आवंटन जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन(5वीं) की भांति अनुमानित राशि पहले की आवंटित कर तत्पश्चात् वास्तविक व्यय के अनुरूप समायोजन कर शेष बजट आवंटन/प्रत्याहारित किया जावे।)
33. निदेशालय के बजट अनुभाग द्वारा विभिन्न डाईट्स की मांग एवं आवश्यकता अलग-अलग होने के मद्देनजर किसी एक मद में शेष रही राशि को आवश्यकता वाने अन्य मद में व्यय कर सकने संबंधी छूट प्रदान किये जाने संबंधी आदेश अलग से प्रसारित किये जावे।
34. परीक्षा आयोजन हेतु वार्षिक कलेण्डर एवं समय विभाग चक्र जारी करना। विगत सत्रों में 8वीं की परीक्षा 10वीं परीक्षा के साथ ही समान दिवसों में आयोजित हुई है। ऐसी स्थिति में परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित करते समय 10वीं के समान ही विषय नहीं रखे जाकर विषयों में अन्तर रखा जावे ताकि केन्द्राधीक्षक को बोर्ड परीक्षा नॉर्म्स के मुताबिक वीक्षक नियुक्ति में परेशानी नहीं आये।

● **पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर:-**

35. कक्षा 8वीं हेतु प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के सफल संचालन हेतु समस्त डाईट एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के मध्य समन्वयक का कार्य करते हुए उक्त परीक्षा सम्बन्धित समस्त कार्य संपादित करवाना।
36. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को उक्त परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराना।
37. राज्य की समस्त डाईट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर, SCERT उदयपुर एवं निदेशालय प्रा.शि. से सतत समन्वय बनाए रखना।
38. उक्त परीक्षावधि के दौरान कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर मे राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित करना एवं प्रतिदिन की सूचनाएं निदेशालय प्रा.शि. एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करवाना।
39. राज्य की समस्त डाईट्स द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से संबंधित उक्त परीक्षा संबंधी समस्याओं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से समन्वय स्थापित कर निस्तारण करवाना।
40. कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर में 5वीं-8वीं परीक्षाओं संबंधित गठित प्रकोष्ठ के माध्यम से उक्त परीक्षा का प्रभावी एवं सफल संचालन।

41. समस्त डाईट्स से परीक्षा केन्द्र निर्धारण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त कर समेकित प्रस्ताव निर्धारित अवधि में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को भिजवाना।
42. परीक्षा आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करवाना।

● **राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर:-**

43. डायस डेटा के आधार पर कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्यात्मक सूचना दिनांक 30.10.2018 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर एवं SCERT उदयपुर को प्रेषित करना।
44. सीसीई संचालित ऐसे विद्यालयों की सूची जिनमें कक्षा 8 संचालित है, तैयार कर सूचना दिनांक 30.10.2018 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर एवं SCERT उदयपुर को प्रेषित करना।
45. SA-4 के स्थान पर आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के संबंध में स्पष्ट निर्देश SCERT उदयपुर, बोध यूनिसेफ के साथ मिलकर तैयार करना।
46. तैयार दिशा निर्देश निदेशालय प्रा.शि. को विद्यालयों में जारी करने हेतु प्रेषित करना।
47. SA-1, SA-2, SA-3, के अंको को समेकित करने का तैयार Formula प्रत्येक विद्यालय एवं प्रशिक्षणों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना।(CCE संचालित विद्यालय)
48. आगामी विस्तार हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूचना निदेशालय व पंजीयक को प्रस्तुत करना।
49. विद्यालयों/डाईट्स/मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा आदि हेतु प्रसारित किये जाने योग्य आदेश/सामग्री वेबपोर्टल shiksha.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करना।

● **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट):-**

50. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा हेतु डाइट में पृथक से सेल गठित किया जाकर कार्य संपादित करना।
51. जिला स्तर पर परीक्षा संचालन समिति की बैठको का आयोजन निर्धारित तिथि में करना। प्रथम बैठक दिनांक 27.10.2018 एवं द्वितीय बैठक दिनांक 20.02.2019 से 28.02.2019 के मध्य आयोजित करना।
52. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण इस हेतु गठित समिति की सहमति से करना।
53. ब्लॉक से परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण हेतु प्रस्ताव समय पर प्राप्त करना।
54. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण (विद्यार्थी संख्या के आधार पर) प्रस्तावों के अनुसार करना।
55. ब्लॉकवार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विषयवार परीक्षकों का पैनेल तैयार कर सूची डाइट में साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में संधारित करना एवं जिला शिक्षा माध्यमिक/प्रारम्भिक से अनुमोदित करवाना।
56. पैनेल के अनुसार परीक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी कराना।
57. परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करने एवं मॉनिटरिंग हेतु डाइट में नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना जिसकी सूचना एवं दूरभाष नम्बर समस्त केन्द्रों को देना।
58. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की वेबसाईट के आधार पर कक्षा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्यानुसार उत्तर पुस्तिकाओं, पूरक उत्तर पुस्तिकाओं से मुद्रण को कार्य समय पर पूर्ण करना।
59. निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर समय पर उत्तर पुस्तिकाओं, पूरक उत्तर पुस्तिकाओं एवं परीक्षा संबंधी अन्य सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना।
60. परीक्षा समय के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय से समन्वय कर उडन दस्तों का गठन करना।
61. बोर्ड से प्राप्त सामग्री समय पर विद्यालय तक पहुंचाना।
62. परीक्षा के सुव्यवस्थित एवं सफल संचालन हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को परीक्षा आयोजन संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना।
63. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों पर मूल्यांकन कार्य सम्पादित करवाकर प्राप्तांको को निर्धारित प्रारूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करना।
64. परीक्षा के दौरान प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था।
65. परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत अंकतालिका/ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्र संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों का वितरित कराना।
66. पुनर्गणना संबंधी कार्यवाही सम्पादित करना।
67. पुनर्गणना में ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में एवं परीक्षार्थी के आग्रह करने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंकतालिका/ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।
68. विद्यालयों/ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय शिक्षा आदि हेतु प्रसारित किये जाने योग्य आदेश/सामग्री वेबपोर्टल shiksha.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करना।

● **सामान्य दिशा-निर्देश:-**

1. इस परीक्षा का नाम प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 (Elementary Education Completion Certificate Examination 2019) होगा।
2. इस परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त सभी राजकीय एवं गैर सरकारी विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक राप्रावि/राउप्रावि/रामावि/राउमावि एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त बालकों के इस परीक्षा हेतु

आवेदन पत्र भरवाए। कक्षा आठवीं के लिए यह परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जाएगी।

3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) में अध्ययनरत अंधे एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 में भाग लेना वैकल्पिक रहेगा।
4. अजमेर शहर में संचालित 3 उर्दू माध्यम के विद्यालयों राउप्रावि बड़बाव, राउप्रावि तारागढ़ एवं राबाउप्रावि अंदरकोट अजमेर के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उक्त परीक्षा में भाग लेना वैकल्पिक रहेगा।
5. उपस्थिति एवं उसकी गणना तिथि:- कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थिति की गणना प्रवेश लेने की तिथि से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75 प्रतिशत तक उपस्थित होना अनिवार्य है परन्तु संस्था प्रधान के संतुष्ट होने की स्थिति में विद्यार्थियों की रूग्णता अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों से अपने विवेकानुसार उपस्थिति में दस प्रतिशत की छूट दे सकेंगे।
6. इस परीक्षा में किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा अपितु प्रत्येक विषय में 5 पॉइन्ट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी और सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ओवर ऑल ग्रेडिंग दी जाएगी। इसमें सी.जी.पी.ए. का प्रावधान नहीं है।
7. इस परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
8. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रत्येक विषय हेतु 100 अंको की होगी, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित है। सत्रांक के 20 अंको में से 5 अंक उपस्थिति के एवं 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं तृतीय परख से प्राप्त निर्धारित प्रारूप के अंक, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्तियां आधारित गतिविधियों के लिए आगामी पृष्ठ पर अंकित तालिका के अनुसार निर्धारित होंगे।
9. CCE संचालित विद्यालय में सत्रांक के 20 अंको में से 5 अंक उपस्थिति के एवम 15 अंक SA-1, SA-2, SA-3, से प्राप्त निर्धारित प्रारूप के अंक, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्तियां आधारित गतिविधियों के लिए आगामी पृष्ठ पर अंकित तालिका के अनुसार निर्धारित होंगे।
उपस्थिति के अंक निम्नानुसार दिये जाएंगे:-
65 से 75 प्रतिशत उपस्थिति -3 अंक
76 से 85 प्रतिशत उपस्थिति -4 अंक
86 से 100 प्रतिशत उपस्थिति-5 अंक

● विद्यालयों के लिये सत्रांक निर्धारण के निर्देश:-

क्र. सं.	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया				प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां				विषय.....				
	अधिगम क्षेत्र	लिखित आंकलन (SA-1, SA-2, SA-3)	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैकलिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां	नियमितता एवं समयबद्धता	वर्तनी, उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	संगीत कला एवं नाटक	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (16)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
अंक		10	10	10	20	10	10	10	10	10	100	15	5	20	
नाम छात्र/छात्रा															

10. कला शिक्षा, कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्य एवं गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइन्ट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी।
11. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण करना है अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
12. इस परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था का प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल डाईट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकती है। डाईट द्वारा निर्धारित प्रति विषय पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। समस्त डाईट्स में पुनर्गणना संबंधी व्यवस्था में एकरूपता के मद्देनजर पुनर्गणना के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जावे:-
 - पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि:-अंकतालिका वितरण के 09 दिवस के भीतर।
 - डाईट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य सम्पादन हेतु समयावधि:- आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर।
 - पुनर्गणना पश्चात् ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित अंकतालिका वितरण:- पुनर्गणना कार्यवाही सम्पादन के अंतिम तिथि से 07 दिवस के भीतर।
13. इस परीक्षा व्यवस्था में अनुग्रह अंको (Grace Marks) का प्रावधान नहीं है।
14. प्रश्न पत्र की समयावधि 2:30 घण्टे एवं पूर्णांक 80 अंक रहेंगे।
15. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती) की परीक्षाएं ली जाएगी।
16. प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 रहेगा। प्राप्तांकों के आधार पर विषयवार ग्रेड निर्धारण निम्नांकित पांच बिन्दुक सारणी के अनुसार किया जाएगा:-

ग्रेड	A+	A	B	C	D
अंक निर्धारण	91-100	76-90	61-75	41-60	0-40

17. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 का आयोजन जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में निम्नानुसार परीक्षा संचालन समिति का गठन कर किया जाना है:-

क्र.स.	पदनाम	पद
1	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संबंधित मण्डल	संरक्षक
2	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा संबंधित जिला	सह संरक्षक
3	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	अध्यक्ष
4	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिला	संदस्य
5	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा संबंधित जिला	संदस्य
6	सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक संबंधित मण्डल द्वारा मनोनीत	संदस्य
7	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी संबंधित डाईट	संदस्य सचिव
8	मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी समस्त संबंधित ब्लॉक	संदस्य

18. उक्त समिति की देखरेख में समस्त कार्य संपादित किए जायेंगे।
19. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध व सुचारु संचालन के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।
20. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 से संबंधित सभी कार्यों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अन्य सुसंगत नियमों व समय-समय पर जारी आदेशों, परिपत्रों एवं निर्देशों की पालना संबंधित पक्षों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
21. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) परीक्षा संचालन हेतु संचालन समिति का गठन करेंगे। इसकी सूचना कमेटी के सदस्यों को दी जाएगी।
22. परीक्षा का आयोजन एवं मूल्यांकन का कार्य डाईट द्वारा करवाया जाएगा। प्राप्तांको की ओ.एम. आर. शीट डाईट द्वारा सीधे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को भेजी जाएगी।
23. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का निर्माण एवं वितरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा राज्य स्तर पर किया जायेगा।
24. जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) एवं डाईट प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।
25. सत्रांक का कार्य विद्यालय स्तर पर बोर्ड द्वारा जारी लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड द्वारा किया जायेगा।
26. समस्त 6 विषयों अंग्रेजी, गणित, हिन्दी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा का विद्यालयों द्वारा किये गये मूल्यांकन का 20 प्रतिशत सत्रांक बिन्दु संख्या 8 में उल्लेखित अनुसार निर्धारित होगा।
27. कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर निर्धारित ग्रेड को ही मूल अंकतालिका में दर्ज किया जाना है।
28. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी अपरिहार्य है लापरवाही व चूक व्यवस्था को दुष्प्रभावित कर सकती है। अतः कृपया निम्न बिन्दुओं पर सतत सतर्कता बनाए रखें:-
- यथासंभव प्रश्न-पत्र परीक्षा केन्द्र के नजदीकी पुलिस थाने में रखे जावेंगे। किन्तु विशेष परिस्थितियों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित परीक्षा केन्द्र जिनके निकट कोई पुलिस थाना नहीं है तथा जिन केन्द्रों पर प्रतिदिन पुलिस थाने से प्रश्न-पत्र ले जाया जाना संभव नहीं है, उनके प्रश्न-पत्र परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षित रखे जावेंगे लेकिन इस स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउंड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाकर प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी। केन्द्राधीक्षक भी रात्रि विश्राम विद्यालय में ही करेंगे।
 - छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अंक मिलान एवं अंक स्लिपें बनाना, ओ.एम.आर. शीट जैसे महत्वपूर्ण कार्य सावधानी से करें एवं इसमें पूर्ण गोपनीयता बनाये रखें।
 - उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों से करवाया जावे जो इस कार्य में पूर्ण गोपनीयता रखें। मूल्यांकन सिल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।
29. समस्त प्राचार्य, डाईट अपने जिले के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारियों मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर विषयवार परीक्षकों का पैनल तैयार करेंगे। पैनल के विषय अध्यापकों से ही संबंधित की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य करवाया जावे।
30. डाईट प्राचार्य विषयवार परीक्षकों का पैनल संबंधित मूल्यांकन केन्द्र को उपलब्ध करा दें। अगर कोई शिक्षक सहयोग नहीं करता है तो संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निदेशालय को सूचित करेंगे।
31. केन्द्राधीक्षक प्रश्न पत्रों को नजदीकी पुलिस चौकी/थानों में सुरक्षा की दृष्टि से रख संकेतें। जिन परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न पत्र केन्द्र पर रखे जाने हैं वहां प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु 2 अध्यापकों की पारी-वार ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।
32. परीक्षा केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा के दिवस ही परीक्षा समाप्ति के तुरन्त पश्चात् उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित तरीके से निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

33. प्रश्न-पत्रों के वितरण के समय सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय, प्राचार्य डाईट को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे जिससे निर्धारित क्षेत्र में जिम्मेदारी से प्रश्न पत्रों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
34. प्राचार्य डाईट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) जिले को क्षेत्रवार विभाजित कर उसका उत्तरदायित्व लेगें एवं क्षेत्र की संस्थाओं को परिवीक्षण कर केन्द्राधीक्षकों को प्रश्न पत्र सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश देगें। उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा प्रतिदिन सायं अपने मण्डल की सूचना पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर के नियंत्रण कक्ष को देगें।
35. जिले की एक पंचायत समिति(ब्लॉक) के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं दूसरी पंचायत समिति(ब्लॉक) में जंचवायी जानी है।
36. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्य हेतु कार्यरत परीक्षक को मूल्यांकन केन्द्र पर निकटतम स्थानों से लगाये जावेंगें तथा उन्हें वास्तविक यात्रा व्यय का पुनर्भरण किया जावेगा एवं मूल्यांकन कार्य हेतु प्रति उत्तरपुस्तिका (प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय) 5 रुपये मानदेय निर्धारित है।
37. बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम के साथ ही ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र तैयार करवा लिया जावे, तत्पश्चात् ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जावें।
38. सभी मूल्यांकन केन्द्रों से परीक्षार्थियों की जांची गई उत्तर पुस्तिकाएं डाईट में आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जावे। विवादित उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जावे, उनकी नीलामी नहीं की जावें।
39. परीक्षकों को मानदेय की राशि का भुगतान मूल्यांकन की समाप्ति के पश्चात् किया जावे।
40. भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी व अग्रेजी दोनों भाषाओं में द्विभाषी मुद्रित होंगे।
41. समस्त संस्थाएं अपनी-अपनी जिम्मेदारी एवं भूमिका के अनुसार बजट प्रस्ताव तैयार कर (SCERT) उदयपुर को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। (SCERT) उदयपुर द्वारा समस्त बजट प्रस्ताव निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायेंगें।
42. कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या के अनुसार (SCERT) उदयपुर समस्त डाईट से बजट प्रस्ताव मंगवाकर समेकित बजट प्रस्ताव निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करेगी।
43. राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् डाईस कोड की सूची 30 अक्टूबर 2018 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर एवं (SCERT) उदयपुर को प्रेषित करेंगी।
44. परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पंचाग/कलेण्डर में दी गई निर्धारित तिथियों के अनुसार सम्पादित किया जायेगा।
45. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 से संबंधित निर्मित सामग्री एवं समस्त आदेश/निर्देश शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल siksha.rajasthan.gov.in, शाला दर्पण व शाला दर्शन पर अपलोड करने हेतु समस्त संबंधित संस्थाएं सामग्री निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करेंगी।
46. तृतीय भाषा के संबंध में आवश्यक विषय विशेषज्ञों की मांग का प्रस्ताव (SCERT) उदयपुर द्वारा निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को भिजवाया जायेगा।
47. तृतीय भाषा में सिन्धी, गुजराती, पंजाबी एवं उर्दू का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तके राज्य में ही लिखी जायेंगी। इसका प्रस्ताव (SCERT) उदयपुर के तृतीय भाषा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार कर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावें।
48. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर इस वर्ष हेतु प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर (SCERT) उदयपुर को सूची भिजवावें, ताकि शैक्षिक कोर कमेटी इस वर्ष के लिए तृतीय भाषा गुजराती हेतु निर्णय लिया जा सके।
49. जो विद्यार्थी गंभीर बीमारी, दुर्घटना, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 में एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इस परीक्षा के परिणाम के बाद आयोजित फोलो-अप परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इस हेतु आयोजित परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा निर्मित रिजर्व प्रश्न पत्र की प्रतियां सभी डाईट्स को उपलब्ध करवाई जाएगी एवं डाईट्स द्वारा परीक्षा केन्द्रों की मांग के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इस परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी उन्हें मुख्य परीक्षा में आवंटित नामांक के माध्यम से ही प्रविष्ट होंगे। जिस परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हेतु आवेदन ही नहीं किया गया है ऐसे विद्यार्थियों को निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के अनुमोदन पश्चात् उक्त परीक्षा में सम्मिलित किया जावें।
50. फोलो-अप परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित डाईट्स अपने स्तर पर करवाकर अंको की सूचियां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को अंकतालिका मय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रेषित करेंगी।
51. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा सभी डाईट्स को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत रिक्त अंकतालिका मय प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि डाईट्स द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन करने अथवा पुनर्गणना में अंक परिवर्तन की स्थिति में द्वितीय प्रति जारी की जा सकेगी।
52. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से संबद्ध/मान्यता प्राप्त सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अंधे एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सत्र 2018-19 हेतु आयोजित प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा, 2019 में सम्मिलित होना वैकल्पिक होगा।
53. उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु संबंधी प्रावधान:-

वर्ष 2019 की परीक्षा के लिए यह ध्यान रखा जावे कि 16 वर्ष से अधिक आयु का कोई विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकें। आयु का निर्धारण आवेदन करने की अंतिम तिथि को आधार मानकर किया जाएगा।

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019
वार्षिक पंचांग

क्र.स.	विवरण	कार्य संपादन माह/तिथि
1	परीक्षा संचालन समिति की बैठक का आयोजन	27.10.2018
2	सभी डाइट्स द्वारा (SCERT) उदयपुर के माध्यम से बजट प्रस्ताव निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना	30.10.2018 तक
3	डाइट्स द्वारा जिले के विद्यालयों के ब्लॉकानुसार नाम, डाइट्स कोड आदि बोर्ड को भेजना	31.10.2018 तक
4	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आई.डी. एवं पासवर्ड जारी कर आवेदन-पत्र ऑनलाइन करवाना	30.10.2018 से 13.11.2018 तक
5	विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	13.11.2018 तक
6	ब्लॉक स्तर पर संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण	26.11.2018 तक
7	आवेदन पत्रों की संग्रहण केन्द्र पर जांच की अंतिम तिथि डाइट्स स्तर पर	26.11.2018 तक
8	डाइट्स द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना	30.11.2018 तक
9	डाइट्स द्वारा परीक्षा केन्द्रों की सूची पंजीयक के माध्यम से बोर्ड को भिजवाना	30.11.2018
10	डाइट्स द्वारा उ.पु. एवं अन्य आवश्यक सामग्री छपवाना	15.01.2019 तक
11	बोर्ड द्वारा प्रश्न-पत्रों का निर्माण एवं अनुसीमन	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार
12	डाइट द्वारा परीक्षकों के पैनल को अंतिम रूप देकर जिशिअ को सूची नाम सहित प्रेषित करना	05.02.2019 तक
13	डाइट्स द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सामग्री संग्रहण केन्द्रों तक भिजवाना	15.02.2019 तक
14	विद्यालयों द्वारा सत्रांक ऑनलाइन करना	बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार
15	विद्यालयों द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा विषयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा तक प्राप्त प्राप्तांकों का 15 प्रतिशत एवं उपस्थिति के 05 प्रतिशत अंक कुल 20 में से प्राप्त सत्रांक दिशा-निर्देशानुसार संबंधित संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र का निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करना	तृतीय परख की समाप्ति के पश्चात्
16	डाइट्स द्वारा सत्रांक की हाडे कॉपी सूची डाइट में सुरक्षित रखना	परीक्षा समाप्ति के 20 दिवस में
17	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रश्न-पत्रों का वितरण	परीक्षा आरंभ के 5 दिवस पूर्व
18	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2019 का आयोजन	निदेशालय प्राशि द्वारा जारी परीक्षा टाईम टेबल के अनुसार
19	उत्तर पुस्तिकाएँ जाँच हेतु मूल्यांकन प्रपत्र संग्रहण केन्द्र पर जांच हेतु पहुंचाना	परीक्षा के दिन ही
20	डाइट द्वारा मूल्यांकन परिणाम की सूचना/ओ.एम.आर. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भिजवाना	मूल्यांकन कार्य समाप्ति के 7 दिवस में
21	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा	बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि
22	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा डाइट्स को ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्रों/टी.आर. का विवरण	परीक्षा परिणाम जारी करने के 10 दिवस के भीतर
23	डाइट्स द्वारा ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण पत्रों का संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों को वितरण	बोर्ड से प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर
24	संस्थाप्रधान द्वारा मूल्यांकन परिणाम जारी करना व विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करना	प्रमाण-पत्र प्राप्ति के 2 दिवस में
25	संयुक्त निदेशक/मुख्य जिशिअ द्वारा श्रेष्ठ/न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उत्तरदायी संस्था प्रधानों/अध्यापकों पर निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना	निदेशालय प्राशि द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.04.16 के अनुसार